बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

प्रपत्र–VII
समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार
अधिघोषणा
(अधिनियम 30/2013 की धारा–19 (1) के अधीन)

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना अरवल जिला के शेरपुर–कुर्मी विगहा गॉव के पास कुसुमुरा पईन (मौजा–माली, थाना नं0–195) पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु *ग्राम/वार्ड–माली (टोला कुर्मी विगहा), थाना–करपी, थाना नं0–195, अंचल–सोनभद्र वंशी सूर्यपुर, जिला–अरवल में कुल–0.80 एकड़ यानी 0.3237 हेक्टेयर* हेतु भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.80 एकड़ यानि 0.3237 हेक्टेयर है और जो ग्राम माली टोला कुर्मी विगहा, थाना–वंशी, थाना सं0–195, अंचल सोनभद्र–वंशी–सूर्यपुर जिला अरवल में है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अंर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	678	4375	रैयत	भीठ	0.20	श्री राधामोहन सिंह, पिता– स्व0 रामरतन सिंह, ग्राम गोखुल विगहा, थाना–वंशी, जिला–अरवल	4330 रास्ता	4376–पी	4375–पी	4375–पी
2	685	4376	रैयत	भीठ	0.05	चिन्ता देवी, पति बिन्देश्वर बिन्द, ग्राम गोखुल विगहा, थाना–वंशी, जिला–अरवल	4375–पी	4377–पी	4375–पी	4376–पी
3	551	4377	बिहार सरकार	पईन	0.04	गैरमजरूआ आम (बिहार सरकार)	4376–पी	4379 एवं 4378–पी	4377–पी	4377–पी
4	523	4378	रैयत	भीठ	0.06	1–श्री सुभाष सिंह, पिता श्यामदास सिंह 2–श्री रामछपित सिंह पिता देवशरण सिंह 3–जितेन्द्र कुमार, ग्राम कुर्मी विगहा/गोखुल विगहा, थाना वंशी जिला अरवल	4377–पी	4379–पी	4378–पी	4379–पी
6	504	4380	रैयत	भीठ	0.09	श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री योगेन्द्र कुमार श्री महेन्द्र कुमार श्री कमलेश बिन्द ग्राम कुर्मी विगहा/गोखुल विगहा, थाना वंशी जिला अरवल	4377–पी	4380–पी	4381–पी	4380–पी
7	550	4396	बिहार सरकार	परती कदीम	0.03	गैरमजरूआ मालिक बिहार सरकार	4381–पी	4397–पी	4396–पी	4379–पी
8	525	4397	रैयत	बाग आम	0.14	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह श्री रामजी सिंह मो0 प्यारी देवी श्रीमती श्याम कुवंर देवी	4379–पी	4380–पी	4397–पी	4329–पी

G:\03– bhu.docx

						सभी ग्राम कुर्मी विगहा/गोखुल विगहा, थाना–वंशी, जिला अरवल				
9	538	4399	रैयत	भीठ	0.10	श्री श्याम बिहारी सिंह, पिता स्व0 हृदय लाल सिंह, ग्राम कुर्मी विगहा थाना–वंशी, जिला अरवल	नदी एवं ग्रामीण पथ	4400–पी	4398–पी	ग्रामीण पथ
10	546	4400	रैयत	भीठ	0.03	श्री चन्द्रदीप साव, पिता स्व0 रामवरत साव, ग्राम कुर्मी विगहा, थाना वंशी, जिला अरवल	4398 एवं 4399–पी	4400–पी	4400–पी	4328–पी (ग्रामीण पथ)
11	551	4329	बिहार सरकार	पईन	0.06	गैरमजरूआ आम (बिहार सरकार)	4329–पी	4329–पी	4329–पी	पईन गैरमजरूआ आम
				कुल–	**0.80**					

यह अधिघोषणा हितबद्व व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0–30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या प्रतिवेदित नहीं किया गया है। फलतः उनके पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र शून्य चिह्न्त किये गये है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह–पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, अरवल के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही घोषणा की तिथि से 03 (तीन) सप्ताह के भीतर किसी तरह का भू–अर्जन दावा आपत्ति आवेदन साक्ष्य के साथ जिला भू–अर्जन कार्यालय, अरवल में दाखिल कर सकते हैं।

समाहर्त्ता के आदेश से

ज्ञापांक– 138 */भू0अ0,* *अरवल, दिनांक–* 1.12.2018

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अंचल अधिकारी, सोनभद्र वंशी सूर्यपुर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिघोषणा अपने कार्यालय के सूचना पट्ट एवं प्रभावित क्षेत्र के पंचायत भवन पर प्रकाशित करते हुए प्रभावित क्षेत्र में उक्त आशय का पर्चा/पाम्पलेट के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अरवल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिघोषणा जिला के वेबसाईट एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, कार्य प्रमण्डल, गया को सूचनार्थ एवं भू–अर्जन से प्रभावित क्षेत्र में इस्तेहार एवं पाम्पलेट के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराते हुए इस्तेहार एवं पाम्पलेट की एक हस्ताक्षरित प्रति जिला भू–अर्जन कार्यालय, अरवल को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC), अरवल को सूचनार्थ एवं उक्त अधिघोषणा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन की कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– एक प्रति रक्षी संचिका में।

समाहर्त्ता,
अरवल।